लोक सभा अध्यक्ष ने लोक-धन पर विधायी नियंत्रण और पर्यवेक्षण की अनिवार्यता पर बल दिया

नई दिल्ली, 14 मार्च, 2015: लोक सभा अध्यक्ष श्रीमती सुमित्रा महाजन ने आज संसदीय सौध में सरकारी उपक्रमों संबंधी संसदीय समिति की स्वर्ण जयंती केउपलक्ष्य में संसद् और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सभापतियों के अखिल भारतीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

लोक-धन के उपयोग पर विधायी नियंत्रण और पर्यवेक्षण की अनिवार्यता पर बल देते हुए, श्रीमती सुमित्रा महाजन ने यह कहा कि सरकारी उपक्रमों की भूमिकाअत्यधिक महत्वपूर्ण है। विगत वर्षों में, सरकार के स्वामित्व वाले इन उपक्रमों ने सतत् प्रयासों के साथ हमारे राष्ट्र का निरंतर निर्माण किया है और इस प्रकार, येसंवृद्धि और विकास की प्रेरणा-शक्ति बने रहे हैं। उन्होंने यह महसूस किया कि संसद् और राज्य विधानमंडलों के लिए यह अनिवार्य है कि वे यह सुनिश्चित करें कि इनउपक्रमों के कार्यकरण में शामिल लोक-धन का दुरुपयोग न होने पाए। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने विगत वर्षों में इन उपक्रमों परनियंत्रण और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए एक प्रभावकारी विधायी तंत्र के रूप में कार्य किया है।

उन्होंने आगे और यह उल्लेख भी किया कि हमारी अर्थव्यवस्था के उदारीकरण के साथ ही, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों को अब घरेलू निजी क्षेत्र की कंपनियों तथाविशाल बहु-राष्ट्रीय निगमों, दोनों से ही, कड़ी प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रकार, आज सरकारी उपक्रमों के लिए यह अनिवार्य है कि वे बेहतर कार्य-निष्पादन के माध्यम से आर्थिक रूप से व्यवहार्य उद्यमों के रूप में अपने अस्तित्व को सार्थक करें और उसे न्यायसंगत ठहराएँ। इस संदर्भ में, सरकारी उपक्रमों संबंधीसमिति को यह सुनिश्चित करना होगा कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम न केवल परिभाषित सामाजिक-आर्थिक उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करें अपितु निजी क्षेत्र में भी अपनेप्रतिद्वंद्वियों से आगे निकलें।

श्रीमती महाजन ने इस तथ्य पर बल दिया कि संसद में सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति ने कई अध्ययन किए हैं और सिफारिशें प्रस्तुत की हैं जिनका हमारेसरकारी उपक्रमों के कार्यकरण और प्रबंधन पर दूरगामी प्रभाव पड़ा है। ऐसा करने में, समिति ने उपक्रमों के कार्यकरण के अनेक साझा क्षेत्रों को शामिल किया है, जैसेपरियोजना की आयोजना और कार्यान्वयन, संगठन और प्रबंधन, वित्तीय और उत्पादन प्रबंधन, कार्मिक और मानव संसाधन

प्रबंधन, आदि। समिति की मूल्यवानसिफारिशों का कार्यान्वयन करके सरकार के स्वामित्व वाले अनेक उद्यम उन समस्याओं का समाधान करने में सफल हुए हैं जिनका सामना वे पूर्व में करते आ रहे थे।

सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के सभापति श्री शांता कुमार ने सम्मेलन में उपस्थित सभी गणमान्य व्यक्तियों का स्वागत करते हुए कहा कि सरकारी उपक्रमोंने देश के विकास में महत्वपूर्णभूमिका निभायी है। इन उपक्रमों ने अपने उद्देश्यों को काफी हद तक सफलतापूर्वक हासिल किया है। उन्होंने महसूस किया कि इनउपक्रमों के कार्यकरण की जाँच किया जाना अत्यंत महत्वपूर्ण है जिसे इस समिति द्वारा लोक सभा की लोक लेखा समिति की तर्ज पर किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जतायी कि प्रतिभागी सम्मेलन के दौरान होने वाली गंभीर चर्चाओं से प्राप्त निष्कर्षों से लाभान्वित होंगे।

इस अवसर पर लोक सभा अध्यक्ष ने सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति के स्वर्ण जयंती के उपलक्ष्य में एक स्मारिका भी जारी की। यह दो-दिवसीय सम्मेलन, जिसमें संसद् और राज्य विधानमंडलों की सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के सभापति और सदस्य भाग ले रहे हैं, प्रतिभागियों को सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंधित निम्नलिखित महत्वपूर्ण मुद्दों तथा संबंधित सरकारी उपक्रमों संबंधी समितियों के कार्यकरण के बारे में अपने विचारों को साझा करने का एक अनुपम अवसर प्रदान करेगाः

(एक) सरकारी उपक्रमों संबंधी समितिः ऐतिहासिक परिदृश्य और उपलब्धियों की तुलना में अधिदेश;

(दो) संबंधित मंत्रालयों/विभागों/सरकारी उपक्रमों द्वारा व्यापक, उत्तरों/की-गई-कार्रवाई टिप्पणों/सामग्री, आदि को विस्तृत, संकेंद्रित और समय पर प्रस्तुत किए जाने से संबंधित मुद्दे;

(तीन) सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की सिफारिशों का प्रभाव; और

(चार) सरकारी उपक्रमों की स्वायत्तता और कुशलता के संदर्भ में संसदीय पर्यवेक्षण- सरकारी उपक्रमों संबंधी समिति की भूमिका।